

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

पत्रांक- वि.प्रा. (III)ब- 11/2012-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी/भागलपुर/पटना-7 एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्यशीर्ष - 2203- तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष - 103- तकनीकी विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष -0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड- N 2203001030001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्व निर्गत आवंटनादेश संख्या- 12(आ), दिनांक 29.06.2015 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों यथा मोतिहारी/मुंगेर/आरा एवं राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिक विद्यालय, गुलजारबाग पटना-7 को कुल रू. 5,13,200=00 (पांच लाख तेरह हजार दो सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

क्रम	विषय शीर्ष	रा0 म0 औद्योगिक विद्यालय मोतिहारी	रा0 म0 औद्योगिक विद्यालय मुंगेर	रा0 म0 औद्योगिक विद्यालय आरा	रा0 मुद्रण प्रौ0 वि0, गुलजारबाग, पटना-7	अतिरिक्त आवंटित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	01 01 वेतन	190000	30000	0	5000	225000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	160000	37000	0	10000	207000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	0	0	0	4000	4000
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	0	0	0	2000	2000
5	01 07 अन्य भत्ता	0	0	0	200	200
	योग- वेतन एवं भत्ते	350000	67000	0	21200	438200
6	14 01 किराया, महसूल एवं कर	0	0	75000	0	75000
	<b>कुल योग</b>	<b>350000</b>	<b>67000</b>	<b>75000</b>	<b>21200</b>	<b>513200</b>

(का)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(क) तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र।

(ख) सरसठ हजार रूपये मात्र।

(ग) पचहतर हजार रूपये मात्र।

(घ) दो लाख बारह हजार रूपये मात्र।

(ङ) पांच लाख तेरह हजार दो सौ रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटन से न्यायालय से आच्छादित कसी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

